Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 3, Issue3, Feb 2014
ISSN: - 2348-0459

लैंगिक भेदभाव : शिक्षा एक समाधान

डॉ. जगपाल सिंह
सहायक प्रोफेसर–राज.विज्ञान स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
अलीपुर, दिल्ली–36

सारांश

लैंगिक असमानता को दूर करने व महिलाओं की स्थिति को सुदृढ करने के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वास्तव में यह कार्य एक दिन का नहीं है। इसके लिए समाज की सोच को बदलना होगा। इसके लिए एक लम्बा समय लग सकता है परन्तु यह असंभव नहीं है। महिला की अस्मिता या पहचान को सुरक्षित करना है तो समाज की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों और उच्च गुणवत्ता के साथ–2 महिला स्वतंत्रता को भी प्रमुखता देनीं होगी। कई सदियों से भारतीय पुरूष समाज की मानसिकता महिलाओं के मामलें में असंवेदनशील और लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहीं है। एक लड़की को आज भी बोझ समझा जाता है और कन्या भ्रूण हत्या के मामलें में भारत दुनिया में आगे है।

खोज शब्द – स्वतंत्रता मानसिकता

प्रस्तावना

लिंग निर्धारण की अत्याधुनिक मेडिकल तकनीक के कारण गर्भ में हीं कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। तमाम मामले ऐसे भी होते है जबकि जीवित पैदा होने के बाद नवजात लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है अन्यथा उन्हें असहाय छोड़ दिया जाता है। ऐसे बहुत से कारण है जिनसें भारत में लिंगानुपात में गिरावट आई है।[1]

परंपरागत पितृसत्तात्मक समाज हर क्षेत्र में लड़के को वरीयता देता दिखाई पड़ता है और लड़की को कम महत्व देता है, जिस कारण वह अशक्त रह जाती है और प्रताड़ना का शिकार होती है। बात चाहे खानपान की हो या शिक्षा की, लड़की के साथ दोयम दर्जे का बरताव किया जाता है तो इसके अलावा लड़की के लिए आचरण और व्यवहार के कठोर नियम बनाए गए है जिसमें किसी तरह का लचीलापन संभव नहीं है। यदि एक लड़की अपनी सीमाओं को तोड़ती है तो इसके लिए शारीरिक प्रताड़ना से लेकर मौत तक की सजा दी जाती है, जिसमें ऑनर किलिंग की घटनाएं भी शामिल है।[2]

महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने भी कुछ कानून बनाए है जो महिला उत्पीड़न को रोकते है। लेकिन कानून केवल सरकारी दस्तावेजों में हीं अपना स्वयं दम घोट रहे है। इसका प्रमुख कारण है

कि महिलाओं में शिक्षा की कमी दिखाई पड़ती है जिससे वे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों से अनजान बनीं हुई है। उच्च शिक्षा की कमी ने महिलाओं को बेजान बना दिया है, संयुक्त राट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार "यदि सभी भारतीय महिलाएं शिक्षित हो जाएं तो कोई भी उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है।"

हमारी संकुचित रूढ़िवादी सोच ने लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया है। व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है पर इससे पहले समाजिक वातावरण को बदलना होगा। लिंग असमानता और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया आज भारतीय समाज की एक ज्वलन्त समस्याओं मे से एक है इसका समाधान उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संभव हो सकता है – समाधान एक मानवीय क्रिया है परन्तु उस समस्या के समाधान का साधन उच्च शिक्षा ही है जिसके द्वारा हम समाज की मानसिकता में बदलाव ला सकते है।

<u>स्त्री शिक्षा का विकास : एक विवेचन</u>

<u>वैदिक कालीन शिक्षाः</u> इस काल में महिला अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होतीं थीं और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ सम्पन्न होते थे यह सब जानकारी अर्थवेद से मिलती है। वैदिक मंत्र में उल्लेख है कि पत्नी को यज्ञ में बोलने के लिए एक कुशल वक्ता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन में बेटा–बेटियों द्वारा षमिल होकर 'उपनयन' संस्कार करने के उल्लेख से शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है जब उन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहकर पुकारा जाता था। इस काल में महिलाएं ललितकलाओं में प्रवीण होती थीं तथा षारीरिक शिक्षा जैसे योग अभ्यास, प्राणयाम आदि महिलाओं के दैनिक जीवन का एक भाग थी।[3] इस प्रकार से मालूम चलता है कि इस काल में महिलाओं व पुरूाों की स्थिति लगभग समान थी।

<u>महाकाव्य कालीन महिला शिक्षाः</u> इस काल में साहित्यिक और ललितकला संबंधी शिक्षा का प्रचलन था। वाल्मीकि के अनुसार, अत्रेयी और लव–कुश साथ–2 आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। लव–कुश धनुर्विद्या व वेदान्त का अध्ययन करते थे तथापि अत्रेयी वेदान्त का ही अध्ययन करती थीं। इस तरह का प्रचलन आज की 'सहशिक्षा' कहलाता है। लेकिन इस प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था कम थी। पौराणिक काल में छोटी आयु में शादी हो जाने से शिक्षा ग्रहण करने का समय समाप्त ही हो जाता था तब महिला को पढ़ाई से दूर रहना पड़ता था।[4]

<u>बौद्धकालीन महिला शिक्षाः</u> इस काल में महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। महिला पुरूषों के समान ही मठों अथवा विहारों में गणित, न्यायष्शास्त्र, साहित्य, दर्शनष्शास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों की पढ़ाई करती थीं। वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार से बुद्ध तथा उनके अनुयायियों ने महिला को संघ की सदस्या बनाकर महिला शिक्षा के दरवाजें खोल दिए थे। वे 'भिक्षुणी' हो सकती थीं तथा महिला वर्ग के उत्थान के लिए अध्यात्म एवं नैतिक शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार कर सकती थीं। इस प्रकार गृहस्थ जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए नियम तथा व्यवहारिक पक्ष के विभिन्न पहलु गृहणियों को बताए जाते थे।[5]

मध्यकालीन महिला शिक्षाः इस काल में महिला शिक्षा का पतन होना षुरू हो गया था। इससे समाज में अनेक बुराइयों का जन्म हुआ। बाहरी आक्रमणों के कारण तथा आंतरिक षत्रुता से महिलाओं को सुरक्षित रख पाना कठिन हो गया था। अतएव, छोटी आयु में ही बाल विवाह हो जाते थे। कम उम्र में ही लड़कियाँ विधवा हो जाती थीं और पुनर्विवाह अथवा विधवा विवाह न होने से पति के साथ सती हो जाया करती थीं। ये बुराइयां भारतीय समाज में उन्नीसवीं सदी तक यथावत् प्रचालित रहीं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा के विाय में सोचना एक स्वपन ही कहा जा सकता है। इस काल में थोडी बहुत धार्मिक शिक्षा भी वह केवल परिवार विशेष की चारदीवारी तक ही सीमित थीं। इस काल में हिंदू बच्चे पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते थे जबकि मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते थे।[6]

ब्रिटिश काल में महिला शिक्षाः

इस काल में इसाई मिशनरियों ने 1717 में मद्रास में क्रिश्चियन कालेज की शुरूआत की। सन् 1817 में राजा राम मोहनराय ने हिन्दूधर्म के अध्ययन के लिए हिन्दू कालेज की स्थापना कलकत्ता शहर में की जबकि इसके अगले ही साल वहा एक बिशप ने एक अलग संस्था षुरू की। उधर मुम्बई में पहले विलसन कॉलेज की नींव पडी और इसके बाद सन् 1834 में एल्फिंस्टन द्वारा एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई। सन् 1840 में मिशनरी मिसेज निचेल ने पूना में नार्मल स्कूल की स्थापना की। एक भारतीय महात्मा जोतीराव फुले ने लार्ड डलहौजी के समय में जनवरी 1948 में पूना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। सावित्री बाई फुले जो महात्मा जोती बा फुले की पत्नी थी पहली भारत की अध्यापिका बनी जिन्होंने अपने पति की सहायता से सन् 1948 में पूना शहर के ईर्द–गिर्द लगभग 18 विद्यालयों की षुरूआत की। सावित्री बाई फुले के प्रयास से दलित लड़के–लडकियों के लिए 15 मई 1848 में पहले विद्यालय की नींवं रखी – साथ जो कॉलेज मसलीपट्टम तथा नागपुर में खुले उनका ध्येय भी बाइबिल की शिक्षा देना रहा था। परन्तु मिशनरियों की शिक्षा लड़की और लड़के में प्रवेश देने में कोई भेदभाव नहीं करती थीं। र्वा 1854 में वुड का प्रेाित पत्र बहुत अधिक चर्चित था क्योंकि इसमें अन्य धाराओं में अतिरिक्त एक अन्य विशेष धारा जो कि महिला शिक्षा की बात करती है। कई आयोगो ने महिला शिक्षा संबंधी नियमों का भी उल्लेख किया है जैसे हंटर आयोग, राले आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सर्जेंट शिक्षा योजना के तहत छः से चौदह वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कही। वर्ष 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना जो विश्वविद्यालयों पर सरकार के कठोर नियंत्रण की बात करता है। इसी कारण से लार्ड कर्जन की भारतीय समाज में आलोचना की जाने लगी।[7]

इसी वर्ष 1904 में दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विद्यालय की शुरूआत की जो 1917 में हाई स्कूल बना और 1924 में इसने कालेज का रूप धारण कर लिया। यह लड़कियों के लिए खुला पहला विद्यालय था। र्वा 1938 में सह इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज अलीपुर में स्थानांतरण हो गया। आजादी प्राप्त करने में इस कालेज

का योगदान अविस्मरणीय है। वर्ष 1906 और 1912 में दिल्ली में लड़कियों के लिए कई विद्यालय खोले गए जिनमें कुछ इस प्रकार है – सरस्वती गर्ल्स स्कूल, लक्ष्मी कन्या पाठशाला, आर्य समाज गर्ल्स स्कूल, इत्यादि।[8]

मुस्लिम महिला शिक्षाः

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वर्ष 1906 में मुस्लिम महिलाओं के लिए भारत का पहला अंग्रेजी विद्यालय खोला था। वर्ष 1920 के आसपास लखनऊ में मुस्लिम बालिका हाई स्कूल की स्थापना जस्टिस करामत हुसैन के द्वारा की गई जो बाद में कॉलेज में तब्दील हो गया। इन्हीं के प्रयत्नों से क्रोस बैथ कॉलेज की इलाहाबाद में स्थापना की। बशीर अहमद सईद तथा उनकी पत्नी के प्रयासों से मद्रास में एक महिला कॉलेज खोला गया। अलीगढ़ का मुस्लिम महिला कॉलेज आज भी अपना बहुत महत्व रखता है।[9]

महिला शिक्षा का विकासः

र्वा 1917 में बेसिक शिक्षा के स्वरूप को वार्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत विकास किया गया जिसके अध्यक्ष बापू महात्मा गांधी जी रहे थे। र्वा 1949 की राधाकृष्णन रिपोर्ट में सेकेंडरी विद्यालयों तथा कॉलेजों में सहशिक्षा लागू करने की सिफारिश की गई थी। इतना ही नहीं लड़कियों के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं खोली गई जैसे – लेडी इरविन, लेडी हार्डिग आदि। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने भी महिला शिक्षा के समर्थक थे जिनके प्रयास से 'जनशिक्षा समाज' की स्थापना की। इसके साथ ही बम्बई तथा औरंगाबाद में कॉलेजों की नींव डाली।[10] इस प्रकार के विवेचन से पता चलता है कि अनेक शिक्षण संस्थाओं का निरन्तर जन्म हुआ और इससे महिला शिक्षा के दरवाजे खुलते चले गए।

भारत में लिंगानुपात देखा जाए तो बेहद निराशाजनक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरूाों के मुकाबले 940 स्त्री है – हम इस अन्तर को केवल उच्चस्तरीय व गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के द्वारा ही लड़का–लड़की के बीच के भेदभाव को दूर कर सकेगें।[11] लड़का–लड़की को एक समान समझे व एक समान व्यवहार करे ताकि किसी तरह के भेदभाव का आभास न हो।

स्वतंत्रता के बाद अनेक शिक्षा अभियान चर्चा में है पिछले छह दशकों में सरकारें वह कार्य नहीं कर पाई है जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा संविधान लागू होने के दस वर्षों के अन्दर की गई थी यानि छः से चौदह र्वा तक के हर बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की बात थी।[12] सन् 1922 में महात्मा गांधी ने एक पत्र में भी लिखा था कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश के लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि चुनाव की गड़बड़ियां, प्रशासन का बोझ, अन्याय और अमीरों का आंतक लोगों पर भारी पड़ेंगे। गांधी जी ने लिखा था कि आशा की एकमात्र किरण शिक्षा का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना होगा।[13] इसी के आधार पर लोगों को उनके अधिकार, मान–सम्मान और अच्छा जीवन मिल सकेगा। वर्तमान समय में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा लगभग 30 प्रतिशत बच्चों तक सीमित रह गई है और इस क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वे लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रहे है।

'प्रथम' नाम की स्वयं सेवी संस्था शिक्षा व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी करती है इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार अभी भी केवल 62.2 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय है जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहली अप्रैल 2013 तक हर स्कूल में शौचालय बन जाने चाहिए थे। यद्यपि 40 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है, जबकि हर सरकारी दस्तावेज लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देने का श्रेय लेने का प्रयत्न करते रहते है।[14]

एक अखबार के अनुसार संयुक्त राट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत और नाइजीरिया की शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार करके और इस शिक्षा को महिलाओं तक पहुंचा कर लाखों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में भारत में पाँच साल से कम उम्र के एक करोड़ 41 लाख बच्चे और नाइजीरिया में 83 लाख बच्चे मौत के मुँह में समा गए। यदि सभी महिलाएं प्राथमिक शिक्षा तक भी शिक्षित होती तो भारत में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों में 13 फीसद तक की कमी की जा सकती थी और नाइजीरिया में बच्चों की मौत में और 11 प्रतिशत कमी हो जाती।[15]

यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सभी महिलाओं ने सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पूरी की होती तो भारत में इसमें 61 प्रतिशत की कमी और नाइजीरिया में 43 प्रतिशत की कमी हो सकती थी। और इसप्रकार से एक करोड़ 23 लाख बच्चों की जान बच सकती थी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि शिक्षा से राजनीतिक व्यवहार में भी लैंगिक भेदभाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।[16]

रिपोर्ट यह भी कहती है कि यदि भारत में लैंगिक साक्षरता अंतर को 40 प्रतिशत कम किया जाता है तो इस बात की संभावना बढ़ सकती है कि राज्य विधानसभा चुनावों में 16 प्रतिशत महिलाएं खड़ी होगीं और वे 13 प्रतिशत मत हासिल कर सकेंगी। भारत के संपन्न राज्यों में से एक केरल में प्रतिव्यक्ति शिक्षा का खर्च लगभग 685 डॉलर का था। ग्रामीण भारत में अमीर और गरीब राज्यों के बीच भारी असमानता है। लेकिन अमीर राज्यों में भी गरीब लड़कियों की स्थिति बेहद खराब है।[17]

राट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिाद (एन.सी.आर.टी.) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों में हालांकि लैंगिक समानता पर ध्यान दिया गया है लेकिन कई स्थानों पर सामाजिक रूढ़ियों की झलक मिलती है। एन.सी.आर.टी. की और से पाठ्यपुस्तकों की लैंगिक आधार पर कराई गई समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पुस्तकों में पुरूषों को अधिक महत्वपूर्ण पदों व जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करते दिखाया गया है कि जबकि महिलाओं को खाना पकाने, घरेलू कार्यों, नर्स, डाक्टर जैसे जिम्मेदारी उठाते दिखाया गया है। दूसरी ओर पुरूषों को पुलिस, कलाकार, वैज्ञानिक, खगोलविद, ड्राइवर, शासक, फल व सब्जी विक्रेता, एथलीट, शिक्षाविद, संगीतकार जैसी पेशेवर भूमिका में दिखाया गया है।[18] कई स्थानों पर पुस्तकों में पुलिस कार्य करने वालों को 'पुलिसमैन' या दूध बेचने वाले को 'मिल्कमैन'

के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसे विचार सामने आए है कि इन्हें 'पुलिस पर्सन' या 'मिल्क पर्सन' के रूप में संबोधित किया जाए।[19] एन.सी.आर.टी. की कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में महिलाओं को पानी भरते और अभ्यास कार्य में इन्हें घरेलू काम करते दिखाया गया है। 'पंतग' शीर्षक से एक कविता में केवल लड़कों को पंतग उड़ाते दिखाया गया है।[20]

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत देश के विभिन्न प्रदेशों में शिक्षकों के 19.84 लाख खाली पदों को भरने के लक्ष्य में से पिछले साल सितंबर तक 14.34 लाख पदों को ही भरा जा सका यानी करीब साढ़े पांच लाख शिक्षकों के पदों को अभी भरा जाना है। हाल में संसद की स्थायी समिति ने सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के मार्ग में शिक्षकों की कमी के आड़े आने पर गंभीर चिंता जताई है। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया गया है।[21]

नारीवादियों के अनुसार जब तक महिलाओं को उच्च शिक्षा जो कि गुणवत्ता से भरपूर हो प्राप्त नहीं होगी तब तक पितृसत्तात्मक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ पाऐगा। इस प्रकार के समाज को एक शिक्षित महिला ही चुनौती दे सकती है – आज वर्तमान समय में महिला शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को सार्वजनिक नीति–निर्माण में भी उचित भागीदारी नहीं है। इस लैंगिक भेजभाव को केवल शिक्षा के माध्यम से जागृत किया जा सकता है – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार जो कि शिक्षा का अधिकार है के अंतर्गत राज्य 6 से 14 र्वा की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा तथा लिंग भेदभाव में कमी आएगी तथा महिलाएं सुरक्षित जीवन यापन कर सकेगी।

संदर्भ सूची

1. दैनिक जागरण, दिसम्बर 16, 2013, नई दिल्ली।
2. वही पृष्ठ।
3. धर्मपाल, "नारीः एक विवेचन", दिल्ली, भावना प्रकाशन, 1996, च–109।
4. वही पृष्ठ, सं, 109।
5. वही पृष्ठ सं. 109–110।
6. वही पृष्ठ, सं.110।
7. वही पृष्ठ, सं. 110–111।
8. वही पृष्ठ,
9. वही पृष्ठ, सं
10. वही पृष्ठ, सं. 111–112।
11. दैनिक जागरण, जागरण सिटी, सोनीपत, जनवरी 25, 2014, नई दिल्ली।
12. दैनिक जागरण, फरवरी 2, 2014, नई दिल्ली।